न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :–03/68/2021 ऑन लाईन संख्या–2021/297 प्रवेश तिथि–28.09.2021

1. गोपाल शर्मा पुत्र श्री नारायण शर्मा आयु 48 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।

..... प्रार्थी

बनाम्

1. कैलाश पुत्र श्री कन्हैया लाल आयु 55 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहम्ण।
2. भौरेलाल पुत्र श्री कन्हैया लाल आयु 62 वर्ष हरियाणा ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।
3. तहसीलदार महोदय राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।
4. नायब तहसीलदार टहला जिला अलवर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी 1955
अन्तर्गत धारा 251–'क'
उपस्थित– श्री सीताराम वशिष्ट एड0–प्रार्थी
श्री सतीश शर्मा एड0–अप्रार्थी
दिनांक 12/11/2025

–:निर्णय:–

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा 324/0.8900, 326/0.800 है0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 304/2611, 304/2674 है0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। जिसमें से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 304/2611, 304/2674 है0 वाके ग्राम बिरकडी 20 फिट चोडा रास्ता प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 324, 326 है0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील टहला जिला अलवर पर पहुचने के लिए रास्ता मौके पर दिलवाया जाने का निवेदन किया। और उक्त वर्णित खसरा संख्यान में होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आजे जाते रहे है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी अब प्रार्थी को उक्त वर्णित रास्ते से आने जाने नही देते है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर खसरा संख्या 304/2611, 304/2674 है0 वाके ग्राम बिरकडी में होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 324, 326 तक प्रार्थी को आराजी पर आमद रफद, हल बैल, टैक्टर कृषि उपज हेतु 20 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। अप्रार्थी तहसीलदार टहला जिला अलवर से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/2919 दिनांक 05.08.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक तहसीलदार टहला की रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा संख्या 324, 326 में आने जाने के लिए मौके व राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है। उक्त खसरा नम्बर 304 में बने सी.सी. रोड व खसरा नम्बर 304/2674 के दक्षिणी मेड में बने सी. सी. रोड जो ग्राम की मुख्य आबादी से रामदेवजी का मन्दिर तक आती है। प्रार्थी द्वारा अपनी अराजी में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 304/2674/0.10 व खसरा संख्या 304/2611/0.50 में से ही रास्ता चाह गया है। उक्त चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 304/2674 व खसरा संख्या 304/2611 की दक्षिणी मेड से लगता हुआ खसरा संख्या 323 सिवायचक की पूर्वी मेड से होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी भूमि 324 के उत्तरी पूर्वी कोने तक पहुचता है। प्रस्तावीत रास्ते में खसरा संख्या 304/2674 रकबा 0.10 है0 गैर मु0 राडा में से 24 मी0 लम्बाई X 6 मी. चोडाई कुल 144 वर्ग मीटर व आराजी खसरा संख्या 304/2611 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी सोयम में से 40 मीटर लम्बाई X 6 मीटर चोडाई कुल 240 वर्ग मीटर भूमि रास्ते में उपयोग हेतु प्रस्तावित है। लेकिन आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 304/2674 रकबा 0.10 है0 गैर मु0 राडा में से 24 मी0 लम्बाई X 6 मी. चोडाई कुल 144 वर्ग मीटर उपयोग में ली गई भूमि में वर्तमान में मौके पर ग्राम पंचायत द्वारा सी.सी. रोड बनाया हुआ है। जो वर्तमान में चालू है। इसलिए उक्त खसरा संख्या 304/2674 में रास्ता दर्ज करने की आवश्यकता नही है। क्योंकि रास्त वर्तमान में चालू है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई पक्का निर्माण, चाह, बोरिंग वृक्ष इत्यादि नही है। प्रस्तावित रास्ते के तरफ दक्षिण मे श्री रामदेवजी महाराज मन्दिर की पक्की दीवार बनी हुई है।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 असालतनान वकालतान उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है–

प्रार्थी को अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 304/2611, 304/2674 में होकर कभी कोई रास्त की आवश्यकता नही हुई और ना ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त आराजी में होकर स्वयं की आराजी खसरा संख्या 324, 326 पर पहुचने के लिए आवागमन किया गया है। बल्कि प्रार्थी स्वयं की रिहायशी जायदाद के तरफ उत्तर पुर्व में स्थित सडक सरकारी बिरकडी से गोला का बास से चलकर सिवायचक खसरा संख्या 317, 316 में होकर स्वयं की खातेदारी की आराजी 304/2612 में होता हुआ पुनः सिवायचक खसरा संख्या 323 से गुजरता हुआ स्वयं की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 324 व उसके पश्चात खसरा नम्बर 325 गै0गु0 नाला में होकर खसरा नम्बर 326 पर पहुचता है। जो रास्ता भानगढ–गोलाका बास की मुख्य सडक से मिलता है। उक्त रास्तो से

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

होकर ही प्रार्थी स्वयं की रिहायशी जायदार व आराजी में सुविधापूर्वक आवागमन करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थीगण की आराजी में होकर किसी भी प्रकार का रास्ता देने की आवश्यकता नही है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज करने का निवेदन किया गया।

4. वकील प्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया मात्र एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुचने हेतु खसरा संख्या 304/2611, 304/2674 से होता हुआ आराजी खसरा संख्या 323 सिवायचक होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 324, 326 तक 20 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। आराजी खसरा संख्या 323 सिवाचक होने के कारण प्रार्थी उसमें होकर आता जाता रहा है। उसमें किसी भी प्रकार की रास्ते की आवश्यकता नही है।

5 बहस वकील अप्रार्थीगण की सुनी गई। बहस के दौराने–ए–वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को मात्र दौहराया मात्र जो निम्नानुसार है– प्रार्थी को अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 304/2611, 304/2674 में होकर कभी कोई रास्त की आवश्यकता नही हुई और ना ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त आराजी में होकर स्वयं की आराजी खसरा संख्या 324, 326 पर पहुचने के लिए आवागमन किया गया है। बल्कि प्रार्थी स्वयं की रिहायशी जायदाद के तरफ उत्तर पुर्व में स्थित सडक सरकारी बिरकडी से गोला का बास से चलकर सिवायचक खसरा संख्या 317, 316 में होकर स्वयं की खातेदारी की आराजी 304/2612 में होता हुआ पुनः सिवायचक खसरा संख्या 323 से गुजरता हुआ स्वयं की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 324 व उसके पश्चात खसरा नम्बर 325 गै0मु0 नाला में होकर खसरा नम्बर 326 पर पहुचता है। जो रास्ता भानगढ–गोलाका बास की मुख्य सडक से मिलता है। उक्त रास्तो से होकर ही प्रार्थी स्वयं की रिहायशी जायदार व आराजी में सुविधापूर्वक आवागमन करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थीगण की आराजी में होकर किसी भी प्रकार का रास्ता देने की आवश्यकता नही है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज करने का निवेदन किया गया।

6. प्रकरण में प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व धारा 251–'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहाँ
(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या
(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भुमि को धारित करता, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह स कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये , भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूठ से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रिति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधिन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहा ऐसे मार्ग को समाविष्ठ करने वाली उस भूमि के संबध में अभिग्रति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

7. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-,*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee | constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee ; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure,] the amount of actual loss or damages shall also be determined.

8. उक्त धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त धारा 251–क दो पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो है–

1 खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।

2 खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य विकल्प की अनुपस्थिति।

3 खातेदार जिस रास्ते की मांग कर रहा है, वह मार्ग निकटतम दूरी का होना अतिआवश्यक।

9. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2024/2919 दिनांक 05.08.2024 के बिन्दु संख्या 2 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार टहला के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/2919 दिनांक 05.08.2024 के द्वारा प्रेषित की गई गौका रिपोर्ट में सुझाये गये प्रस्ताव को स्वीकारना उचित प्रतीत होता है जो कि वैकल्पिक रास्ता एवं आत्यान्तिक रास्ते की श्रेणी के अन्तर्गत है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

11. पक्षकारान व वकुलाय के निवेदन पर मैं सुश्री सीमा मीना पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर व श्री प्रवीण चोधरी तहसीलदार टहला, श्री मुरारी लाल शर्मा, भू–अभिलेख निरिक्षक गोला का बास, श्री योगेश यादव पटवारी बिरकडी, की उपस्थिति में वाके ग्राम बिरकडी के आराजी खसरा संख्या 304/2674, 304/2611, 323, 324 वाके ग्राम बिरकडी का मौका मुआयना/मौका निरिक्षण किया गया है। प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 324 में आने जाने के लिए आराजी खसरा संख्या 304/2674, किस्म गै0मु0 राडा, 304/2611 किस्म बारानी सोयम गे से रास्ते की मांग की गई है। मौके पर मुख्य सडक गोला का बास से बिरकडी से आराजी खसरा संख्या 304/1.04 गै0मु0 राडा से होता हुआ व प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ते के खसरा संख्या 304/2674 किस्म गै0मु0 राडा में ग्राम पंचायत द्वारा सी0सी0 रोड बनाया हुआ है। तथा अप्रार्थी की खातेदारी आराजी 304/2611 किस्म बारानी सोयम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है। इसके आगे सिवायचक आराजी खसरा संख्या 323 जिसमें मौके पर प्रचलित रास्ता मौजूद है। जो कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी 324 वाके ग्राम बिरकडी तहसील टहला से लगता हुआ है। जो पहुच मार्ग सुनिश्चित करता है। साथ ही यह भी देखा गया की प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ते व्यवस्था नही है। इसलिए प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।

12. उक्त प्रकरण में धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार टहला की दिनांक 05.08.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार टहला की दिनांक 05.08.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार आराजी खसरा संख्या 304/2674/0.10 है0 किस्म गै0मु0 राडा मुताबिक तहसीलदार टहला रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 ग्राम बिरकडी की आबादी के खसरा संख्या 304 में बने सी0सी0 सडक व आराजी खसरा संख्या 304/2674 के दक्षिणी मेड में बने सी0सी0 रोड जो ग्राम की मुख्य आबादी से रामदेव जी का मन्दिर तक आती है। चूंकि उक्त खसरा संख्या 304/2674 में रास्ता दर्ज करने की आवश्यकता नही होती है। क्योकि आराजी 304/2674 किस्म गै0मु0 राडा में ग्राम पंचायत के द्वारा सी0सी0 रोड/सडक बनी हुई है। और मौके पर वर्तमान में रास्ता आवगमन हेतु चालू है। जिसमें होकर प्रार्थी हमेशा से आता जाता रहा है। मौका पर्चा दिनांक 25.10.2025 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 323 सिवायचक वाके ग्राम बिरकडी तहसील टहला प्रार्थी का आराजी खसरा संख्या 324 लगता हुआ है। जिसमें होकर प्रार्थी रास्ते में आवगामन हेतु उपयोग–उपभोग लेता आ रहा है। इसलिए तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 304/2611/0.50 है0 में से प्रस्तावित लघुत्तम मार्ग बतौर 40 मी0 लम्बाई X 6 मी0 चोडाई = 240 वर्ग मीटर रास्ता रिकार्डेड किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

अनुवान गोपाल बनाम कैलाश
प्रार्थना पत्र संख्या–03/68/2021
निर्णय दिनांक–12.11.2025

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टहला को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 05.08.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट में अंकित खसरा संख्या 304/2674/0.10 किस्म गै0मु0 राडा में ग्राम पंचायत के द्वारा बनाई हुई सी0सी0 रोड/सडक को रास्ते में दर्ज करने की आवश्यक नही क्याकिं उक्त खसरा में पुर्व से ही रोड बना हुआ है। इसलिए अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 304/2611/0.50 किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम बिरकडी तहसील टहला मे से होकर होता हुआ लघुत्तम मार्ग बतौर 40 X 6 = 240 वर्ग मीटर रास्ता दर्ज करते हुए प्रार्थी की खातेदारी आराजी वाके ग्राम बिरकडी तहसील टहला जिला अलवर में रास्ते पर राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 68 लगायत 70 के अनुसार तहसीलदार टहला की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 अनुसार के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि वितरित करते हुये नियमानुसार खाता संख्या–1 सिवायचक में गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। दिनांक 05.08.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा मौका पर्चा दिनांक 25.10.2025 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार तहसीलदार टहला राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार टहला को भिजवायी जावें।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।
यह आदेश आज दिनांक 12/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते